न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–04(रा0)/2013–14

विनय कुमार वर्मा बनाम लाल प्रसाद उर्फ लाला गोप एवं चन्द्रमा देवी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
27/7/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 5566 दिनांक 01.10.2013 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2013–14 के आलोक में आरम्भ की गयी थी। श्री विनय कुमार वर्मा के द्वारा मौजा–पहाड़ी, थाना नं0 14 खाता नं0 500 खेसरा नं0 1317 रकवा 26डी0 की लगान रसीद काटने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत खेसरा पर लाल प्रसाद उर्फ लाला गोप तथा उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रमा देवी की जमाबंदी सं0 1608 एवं 1611 चल रही है। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा नोटिस किए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुए। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अभिलेख इस न्यायालय को भेजा गया। श्री लाला प्रसाद उर्फ लाला गोप एवं श्रीमती चन्द्रमा देवी के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिउत्तर दायर करते हुए अपना पक्ष रखा गया। (1) प्रश्नगत खेसरा सं0 1317 का खतियानी रकवा 2.75 एकड़ है। लाला प्रसाद के द्वारा प्रश्नगत खेसरा का 25डी0 दिनांक 22.10.1991 के निबंधित डीड से युगल किशोर सिंह से खरीदा गया। युगल किशोर सिंह ने प्रश्नगत भूखण्ड की खरीद दिनांक 08.06.1967 के केवाला से रामप्रीत यादव से की थी। राम प्रीत यादव को प्रश्नगत भूखण्ड भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा से प्राप्त थी। (2) श्रीमती चन्द्रमा देवी के द्वारा दिनांक 30.05.1992 के निबंधित केवाला से प्रश्नगत खेसरा के 6डी0 की खरीद युगल किशोर सिंह से की गयी थी। (3) खरीदगी के पश्चात कुल 31डी0 भूखण्ड पर लाला प्रसाद एवं उनकी पत्नी शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम की गयी। (4) प्रश्नगत खेसरा का शेष 2.44 एकड़ बद्री महतो को हुकुमनामा से प्राप्त हुआ, जिसमें से 1.40 एकड़ भूखण्ड का सरकार के द्वारा अर्जन कर लिया गया। बद्री महतो शेष 1.04 एकड़ पर दखलकार रहे। (5) बद्री महतो की मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र मोहन महतो, सीता राम महतो, रामजी महतो एवं दशरथ महतो प्रश्नगत भूखण्ड 1.04 एकड़ पर संयुक्त रूप से दखल में आये। सभी भाईयों को आपसी बंटवारा में प्रश्नगत खेसरा का 26–26डी0 प्राप्त हुआ।	

(6) सभी चारों भाई के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री के लिए विपक्षी लाला प्रसाद से एकरारनामा किया गया। सीता राम महतो एवं मोहन महतो के द्वारा दिनांक 24.09.2001 को विपक्षी लाला प्रसाद के पक्ष में कुल 52डी0 के लिए केवाला लिख दिया गया। इसी प्रकार दशरथ महतो के द्वारा भी दिनांक 24.09.2001 को ही 26डी0 को केवाला श्रीमती चन्द्रमा देवी के पक्ष में लिख दिया गया। दिनांक 24.09.2001 को खरीद गये भूखण्ड पर विपक्षीगण दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम की गयी।

(7) एक भाई रामजी महतो के द्वारा एकरारनामा के बाद भी केवाला नहीं किया गया।

(8) प्रश्नगत भूखण्ड पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसे लेकर द0प्र0स0 की धारा–144 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सिटी के न्यायालय में वाद सं0 381/1993 चला, जो धारा–145 के अन्तर्गत परिवर्तित हुआ। कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सिटी के द्वारा दिनांक 27.07.1999 में अंतिम आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत खेसरा के कुल 1.04 एकड़ पर लाला प्रसाद का दखल घोषित किया गया।

(9) प्रश्नगत भूखण्ड जो काफी नीची जमीन थी, में मिट्टी भरवा कर विपक्षी लाला गोप के द्वारा चहारदीवारी करायी गयी। प्रश्नगत खेसरा पर स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर का भी निर्णय किया गया तथा प्रश्नगत खेसरा में से ही विपक्षी लाला प्रसाद के द्वारा बेघरों के लिए घर योजनान्तर्गत गरीबों के लिए मकान बनाने हेतु 03(तीन) कट्ठा भूखण्ड महामहिम राज्यपाल के नाम से दिनांक 19.10.1993 को दान की गयी।

(10) विनय कुमार वर्मा के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को दिए गए आवेदन में झूठे आरोप लगाये गये है। वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :

(क) दिनांक 19.10.1993 का दान पत्र

(ख) वाद सं0 381/93 में दिनांक 27.07.1999 को पारित आदेश

(ग) मंदिर का कार्ड

(घ) CWJC No. 8690/2003 में पारित आदेश

आवेदक विनय कुमार वर्मा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी लाला प्रसाद एवं अन्य की तरफ से दायर प्रति उत्तर पर जवाब देते हुए कहा गया कि

(1) प्रश्नगत खाता सं0 500 खेसरा सं0 1317 रकवा 2.44 एकड़ बद्री महतो ने भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा से प्राप्त किया था।

(2) एल0ए0 केस नं0 01/55–56 एवं 02/55–56 के द्वारा प्रश्नगत खेसरा का 1.40 एकड़ अर्जित कर लिया गया, जिसका मुआवजा बद्री महतो ने प्राप्त किया।

(3) बद्री महतो की मृत्यु के बाद उनके चार पुत्र मोहन महतो, सीता राम महतो, रामजी महतो एवं दशरथ महतो दखल में आये। आपसी बंटवारा में सभी भाई को 26–26 डी0 हिस्सा मिला। दाखिल खारिज वाद सं0 702/5 वर्ष 1991–92 के द्वारा सभी भाई के नाम अलग–अलग जमाबंदी क्रमशः 1608, 1609, 1610 एवं 1611 कायम की गयी।

(4) मोहन महतो, सीताराम महतो एवं दशरथ महतो के द्वारा दिनांक 24.09.2001 को अपने–अपने हिस्से की भूखण्ड विपक्षी लाला प्रसाद को लिख दी गयी।

(5) रामजी महतो के हिस्से की 26डी0 जमीन पर आवेदक विनय कुमार वर्मा का दखल कब्जा कायम है। रामजी महतो के नाम की जमाबंदी फट जाने के कारण वर्ष 2004 से लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रही है।

(6) विपक्षी के द्वारा आवेदक की जमीन पर जबरदस्ती दखल–कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर धारा–107 एवं 144 के अन्तर्गत मुकदमा चला

(7) आवेदक के द्वारा विपक्षी के प्रति उतर को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुना एवं उपलब्ध कराये गये कागजात का परिशीलन किया।

(1) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह मामला जमाबंदी रद्द का नहीं है। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा गलत प्रस्ताव भेजा गया है। यह मामला प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल–कब्जा का है, जिसका निर्णय इस न्यायालय में नहीं किया जा सकता।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा श्री रामजी महतो के नाम से प्रश्नगत खेसरा के 26डी0 की वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की लगान रसीद की छाया–प्रति दिखायी गयी। यह लगान रसीद अंचलाधिकारी, पटना सदर के आदेश ज्ञापांक 3690 दिनांक 17.06.2017 के आधार पर निर्गत की गयी है।

(2) विपक्षी के भी विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह मामला दखल–कब्जा का है। द0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत वाद सं0 381/93 के अंतर्गत सम्पूर्ण रकवा 1.04 एकड़ पर विपक्षी का दखल घोषित किया गया है। उक्त आदेश को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि यह मामला जमाबंदी रद्द वाद का नहीं है। वस्तुतः दखल के बिन्दु पर विवाद है, जिसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से हो सकता है। प्रभावित पक्षकार सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/12/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

27/12/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना